न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग ग्वालियर म0प्र0

256

निगरानी कमांक– नि/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4128 सन्

आशाराम तनय श्री लखन अहिरवार,

निवासी ग्राम– छातीपहाडी तहसील –नौगांव,

जिला– छतरपुर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

बनाम्

1. बृजलाल तनय श्री उद्वव अहिरवार,

2. अयोध्या प्रसाद तनय श्री चतरे अहिरवार,

निवासीगण–छातीपहाडी तहसील नौगांव,

जिला छतरपुर म0प्र0, ...गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी बिरूद्व अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के प्रथम अपील कमांक– 68/अपील/2016–2017 में अंतरिम आदेश दिनांक– 26. 10.2017 से दुःखित एंव व्यथित होकर निगरानी।

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित तथ्यों एंव आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है कि :––

1. यह कि निगरानीकर्ता हरिजन व्यक्ति है और भूमिहीन की श्रेणी में आता है तथा ग्राम छातीपहाडी का स्थाई निवासी है इसलिऐ म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कमांक– एफ.–4–96–97/सात/2ए दिनांक– 04.03.1998 के परिपेक्ष्य में कलेक्टर छतरपुर के पत्र कमांक– 886/भ–अभिलेख/98 दिनांक– 21.05.98 एंव पत्र कमांक– 1597 भू–अभिलेख/98 छतरपुर के पालन में ग्राम छातीपहाडी में स्थित भूमि के आबंटन हेतु विधिवत् ग्राम में इश्तहार का प्रकाशन दिनांक– 06.08.98 को डुग्गी पिटवाकर किया गया था।

2. यह कि भूमि खसरा नंबर– 551 में से रकवा– 1.200हे0 स्थित ग्राम छातीपहाडी तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 का विधिवत् प्रकरण कमांक– 50/अ–19/97–98 दिनांक– 22.09.98 को विधिवत् पटटा प्रदान किया गया था और पटटा प्रदान होने के बाद निगरानीकर्ता को विधिवत् ततकालीनहल्कापटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने मोके पर जाकर पटटा अनुसार कब्जा प्रदान किया गया था । जिसकी जानकारी गैरनिगरानीकर्तागण को पटटा ,कब्जा व इश्तहार दिनांक से ही चली आ रही है। तथा निगरानीकर्ता उक्त पटटा प्राप्ति एंव कब्जा प्राप्ति से निर्विवाद रूपसे काबिज होकर सतत आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4128 आशाराम विरूद्ध बृजलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 68/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

16.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य